

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या 2530सीएसी/06/28एफ0ए0/77-2

दिनांक: 29 दिसम्बर, 06

1. समस्त मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
3. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
4. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)
उ0प्र0 परिवहन निगम।

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में सुविधा दिये जाने के वर्तमान आंतरिक निर्देशों के अर्न्तगत साधारण बसों से निःशुल्क यात्राएं अनुमन्य हैं। इसने शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार अतिरिक्त कर चार्ज किये जाने की व्यवस्था निहित है।

2. उपरोक्त संबंध में मा0 मुख्यमंत्रि जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को वातानुकूलित बसों में भी निःशुल्क यात्रा अनुमन्य करने की घोषणा की गयी है। इस संदर्भ में वह निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रकारों को दिनांक 01.01.07 से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी प्रकार की बसों जिसके अर्न्तगत साधारण, पवन, पवन मोल्ड, वातानुकूलित शीतल एवं शताब्दी आदि-आदि बसों के साथ परिवहन निगम द्वारा महानगरीय एवं उपनगरीय बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी।

3. अतिरिक्त कर चार्ज किये जाने की एवं अन्य व्यवस्थाएं नियम पूर्व की भांति रहेंगे।

4. कृपया तदनुसार सुविधाएं प्रदान करने हेतु परिवहन निगम के चालकों/परिचालकों सहित सभी कार्मिकों को निर्देशित कर दें।

Hanuman
29/12/06
(शंकर अग्रवाल)
प्रबंध निदेशक

प्रतिनिधि :- समसंस्थक समदिनांकित

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।